

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/670/

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

श्री राम आसरे मलिक, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 28.09.2020 से 16.12.2020 तक 80 दिन के अवकाश अवधि के संदर्भ में निर्देशानुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उक्त अवधि को अवैतनिक किया जाता है एवं कर्तव्य पर उपस्थिति दिनांक 17.12.2020 से वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/671/

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिरस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा / पेशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका / अवकाश / प्रोटोकॉल / वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री राम आसरे मलिक, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/672 /

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

IV-12-14/80 VII-Q

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के अनुसार श्री तेजीलाल रैकवार, भूत्य (कोर्ट अटेंडेन्ट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 29/12/2020 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

सही/-
(प्रियदर्शन शामर्थ)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/673 /

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

IV-12-14/80 VII-Q

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री तेजीलाल रैकवार, भूत्य (कोर्ट अटेंडेन्ट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिठवे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1674 /

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

IV-12-14/80 VII-Q

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के अनुसार श्री महेश कुमार चौकसे, नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 21/12/2020 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1675 /

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

IV-12-14/80 VII-Q

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिसिपल सिस्टम इनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 3. ए.ओ. (जे) लेखा / पैशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
 4. सहायक वेतन पत्रक / सेवापुरितिका / अवकाश / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. श्री महेश कुमार चौकसे, नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।


(किशोर पिटवे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/676

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

II-13-9/17

श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, N.C.S., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को पात्रतानुसार दिनांक 23.11.2020 से 24.11.2020 तक 2 दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25.11.2020 से 26.12.2020 तक 32 दिन का अवैतनिक अवकाश (Leave Without Pay) स्वीकृत किया जाता है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/677

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

II-13-9/17

प्रतिलिपि :-

- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 372/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 29/01/2021 के संदर्भ में श्री दीपक कुमार चतुर्वेदी, N.C.S. का अर्जित अवकाश आवेदन पत्र, कार्यभार ग्रहण करने का आवेदन पत्र एवं 2 मेडिकल पेपर को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न :—उपरोक्तानुसार।
- सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
- असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(किशोर पिटले)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/678 /

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

दो-14-91/2020

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 के आलोक में श्री नईम अहमद खान, सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सेवानिवृत्त दिनांक 31.01.2021 पर पात्रतानुसार कुल 227 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही/-

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)



पृष्ठांकन क्र. C/679 /

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

दो-14-91/2020

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिसिपल सिस्टम इनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 3. ए.ओ. (जे) लेखा / पेशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 4. सहायक वेतन पत्रक / अवकाश / सेवापुस्तिका / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 6. श्री नईम अहमद खान, सेवानिवृत्त सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- पता—एल.आई.जी.—75, न्यू आनंद नगर कालोनी, सुभाष वार्ड हनीफ चौक, अधार ताल जबलपुर, पिन—482009 मो. 9713766871
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(किशोर पिटवे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/680

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

दो-14-09/2021

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 के आलोक में श्री राकेश कुमार शुक्ला, सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दिनांक 31.01.2021 पर पात्रतानुसार कुल 227 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
■

पृष्ठांकन क्र. C/681

जबलपुर, दिनांक 19/02/2021

दो-14-09/2021

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिसिपल सिस्टम इनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
 2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 3. ए.ओ. (जे) लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 4. सहायक वेतन पत्रक / अवकाश / सेवापुरितका / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 6. श्री राकेश कुमार शुक्ला, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(किशोर पिठवे)
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.
■